

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आ0सं0-8/ज0सं0(नि0) राँची-06/2011:- /राँची, दिनांक -
आदेश

श्री भुवनेश्वर चौबे, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर, गुमला के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-352 दिनांक-09.02.2012 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री चौबे के 31.08.2012 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प सं.-352 दिनांक-09.02.2012 द्वारा गठित विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेशन नियमावली के नियम-43(बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह0/-

(शेखर कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 2007

/राँची, दिनांक:- 17/07/14

प्रतिलिपि:- श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर, गुमला/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री भुवनेश्वर चौबे, फ्लैट सं.-206, श्री पारस एपार्टमेन्ट, आनन्दपुरी, हरमू, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/14

(शेखर कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

14/7/14